उत्तर प्रदेश जनहित गारन्टी अधिनियम, 2011[1]

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, सन् 2011]

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने 03 मार्च, 2011 को अनुमति प्रदान की और दिनांक 4 मार्च, 2011 के उ0 प्र0 असाधारण में प्रकाशित हुआ]

राज्य की जनता को निश्चित समय सीमा के भीतर सेवाएं प्रदान करने तथा उससे संबंधित और आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1–(1) इस अधिनियम उत्तर प्रदेश जनहित गारण्टी अधिनियम, 2011कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

(3) यह 14 जनवरी, 2011 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

परिभाषाएं

2–जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो इस अधिनियम में : —

(क) "पदाभिहित अधिकारी" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन सेवा प्रदान करने के लिए इस रूप में अधिसूचित किसी अधिकारी से है ;

(ख) "पात्र व्यक्ति" का तात्पर्य अधिसूचित सेवा के लिए पात्र किसी व्यक्ति से है ;

(ग) "प्रथम अपील अधिकारी" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन इस रूप में अधिसूचित किसी अधिकारी से है ;

(घ) "सेवा का अधिकार" का तात्पर्य नियत समय सीमा के भीतर धारा 4 के अधीन सेवा प्राप्त करने के अधिकार से है ;

(ङ) "सेवा" का तात्पर्य, धारा 3 के अधीन अधिसूचित किसी सेवा से है ;

(च) "द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन इस रूप में अधिसूचित किसी अधिकारी से है ;

(छ) "नियत समय सीमा" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन अधिसूचित पदाभिहित अधिकारी द्वारा सेवा प्रदान करने अथवा प्रथम अपील अधिकारी द्वारा अपील का विनिश्चय करने के अधिकतम समय से है ।

सेवाओं, पदाभिहित अधिकारियों, प्रथम अपील अधिकारियों द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी तथा नियत समय सीमाओं की अधिसूचना

3–राज्य सरकार, समय–समय पर सेवाओं, पदाभिहित अधिकारियों, प्रथम अपील अधिकारियों द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी तथा नियत समय सीमा को अधिसूचित कर सकेगी।

1– उद्देश्य व कारणों हेतु इस अधिनियम के अन्त में देखें।

नियत समय सीमा के भीतर सेवा प्राप्त करने का अधिकार

4–पदाभिहित अधिकारी धारा 3 के अधीन अधिसूचित सेवा पात्र व्यक्ति को उपलब्ध करायेगा ।

नियत समय सीमा में सेवा उपलब्ध कराना

5–(1) नियत समय सीमा, अधिसूचित सेवा के लिए अपेक्षित आवेदन, पदाभिहित अधिकारी या उसके अधीनस्थ आवेदन प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति को, प्रस्तुत करने के दिनांक से प्रारम्भ होगी । ऐसे आवेदन की सम्यक् रूप से अभिस्वीकृति दी जायेगी ।

(2) पदाभिहित अधिकारी, उपधारा (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर समय सीमा के भीतर या तो सेवा उपलब्ध करायेगा या आवेदन अस्वीकृत करेगा और आवेदन अस्वीकृत करने के मामले में यह कारणों को लिखित में अभिलिखित करेगा और आवेदक को सूचित करेगा ।

अपील

6–(1) कोई व्यक्ति, जिसका आवेदन धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन अस्वीकृत कर दिया जाता है, अथवा उसे नियत समय सीमा के भीतर सेवा उपलब्ध नही करायी जाती है, आवेदन अस्वीकृत होने के दिनांक से अथवा नियत समय सीमा के अवसान के तीस दिन के भीतर प्रथम अपील अधिकारी को अपील कर सकता है :

परन्तु प्रथम अपील अधिकारी तीस दिनों की अवधि के अवसान के पश्चात भी अपील ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय के भीतर अपील प्रस्तुत करने में पर्याप्त कारणों से प्रविरत किया गया था ।

(2) प्रथम अपील अधिकारी पदाभिहित अधिकारी को आदेश मे विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सेवा उपलब्ध कराने का आदेश दे सकेगा या अपील को अस्वीकार कर सकता है ।

(3) प्रथम अपील अधिकारी के विनिश्चय के विरूद्ध द्वितीय अपील, द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को ऐसे विनिश्चय के दिनांक से 60 दिनों के भीतर की जा सकेगी :

परन्तु द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी, 60 दिनों की अवधि के अवसान के पश्चात भी अपील ग्रहण कर सकता है । यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय के भीतर अपील प्रस्तुत करने में पर्याप्त कारणों से प्रविरत किया गया था ।

(4) (क) द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी पदाभिहित अधिकारी को ऐसी अवधि के भीतर सेवा प्रदान करने का आदेश दे सकता है, जैसा कि वह विनिर्दिष्ट करे या अपील को अस्वीकार कर सकता है ।

(ख) द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी सेवा उपलब्ध कराने के आदेश के साथ धारा 7 के उपबन्धों के अनुसार शास्ति अधिरोपित कर सकता है ।

(5) (क) यथास्थिति यदि पदाभिहित अधिकारी अथवा प्राधिकृत अधिकारी धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन की अभिस्वीकृति नही देता है, तो आवेदक प्रथम अपील अधिकारी को सीधे आवेदन प्रस्तुत कर सकता है । इस आवेदन का विनिश्चय प्रथम अपील की रीति से किया जायेगा।

(ख) यदि पदाभिहित अधिकारी उपधारा (2) के अधीन सेवा प्रदान करने के आदेश का अनुपालन नही करता है, तो आवेदक द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को सीधे आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा । इस आवेदन का विनिश्चय प्रथम अपील की रीति से किया जायेगा ।

(6) प्रथम अपील अधिकारी तथा द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को, इस धारा के अधीन अपील का विनिश्चय करते समय निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में वही शक्तियां होगी, जो कि किसी वाद का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (अधिनियम संख्या 5, सन् 1908) के अधीन सिविल न्यायालय में निहित होती है, अर्थात : —

(क) दस्तावेजों को पेश करने तथा निरीक्षण किए जाने की अपेक्षा करना ;

(ख) पदाभिहित अधिकारी तथा अपीलार्थी को सुनवाई के लिए समन जारी करना ; और

(ग) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाय ।

शास्ति

7–(1) (क) जहाँ द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी की यह राय हो कि पदाभिहित अधिकारी बिना पर्याप्त तथा युक्तियुक्त कारण से सेवा प्रदान करने में विफल रहा है, तो वह एकमुश्त शास्ति अधिरोपित कर सकता है, जो 500 रूपये से अन्यून तथा 5000 रूपये से अनधिक होगी ।

(ख) जहाँ द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी की यह राय हो कि पदाभिहित अधिकारी ने सेवा प्रदान करने में विलम्ब किया है तो वह यह पदाभिहित, अधिकारी पर ऐसे विलम्ब के लिए 250 रूपये प्रतिदिन की दर से शास्ति अधिरोपित कर सकेगा, जो 5000 रूपये से अनधिक होगी :

परन्तु पदाभिहित अधिकारी को, उस पर शास्ति अधिरोपित किये जाने के पूर्व सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जायेगा ।

(2) जहाँ द्वितीय, अपीलीय प्राधिकारी की यह राय हो कि प्रथम अपील अधिकारी बिना किसी पर्याप्त तथा युक्तियुक्त कारण से नियत समय के भीतर अपील का विनिश्चय करने में विफल रहा है तो वह प्रथम अपील अधिकारी पर ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकता है, जो 500 रूपये से अन्यून तथा 5000 रूपये से अनधिक होगी :

परन्तु प्रथम अपील अधिकारी को उस पर शास्ति अधिरोपित किये जाने के पूर्व सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा ।

(3) द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी यथास्थिति उपधारा (1) या (2) या दोनों के अधीन अधिरोपित शास्ति में से प्रतिकर के रूप में ऐसी धनराशि, जो अधिरोपित शास्ति से अधिक नहीं होगी, अपीलार्थी को प्रदान करने का आदेश दे सकता है ।

(4) द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का यदि समाधान हो जाता है कि पदाभिहित अधिकारी या प्रथम अपील अधिकारी बिना पर्याप्त तथा युक्तियुक्त कारण से इस अधिनियम के अधीन सौंपे गये कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहा है तो वह उस पर लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति कर सकता है ।

पुनरीक्षण

8–इस अधिनियम के अधीन शास्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी के किसी आदेश से व्यथित पदाभिहित अधिकारी अथवा प्रथम अपील अधिकारी उस आदेश के दिनांक से 60 दिन की अवधि के भीतर पुनरीक्षण करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा नाम निर्दिष्ट ऐसे अधिकारी को आवेदन कर सकता है जो यथाविहित रीति के अनुसार उस आवेदन पत्र का निस्तारण करेगा :

परन्तु राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट अधिकारी का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त आवेदन पर्याप्त कारण से समय पर प्रस्तुत नही किया जा सका था, तो यह ऐसे आवेदन को 60 दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी ग्रहण कर सकता है ।

सद्भावपूर्वक की गयी कार्यवाही का संरक्षण

9–इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गयी या किये जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नही होगी ।

नियम बनाने की शक्ति

10–राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने हेतु नियम बना सकती है ।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति

11–(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार गजट में प्रकाशित आदेश जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, द्वारा ऐसे उपबन्ध कर सकती है जो कठिनाई दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो :

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात नही किया जायेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश द्वारा किये गये उपबन्ध उसी रूप में प्रभावी होंगे मानो इस अधिनियम में अधिनियमित किये गये हो और ऐसा कोई आदेश किया जा सकता है, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से पूर्ववर्ती किसी दिनांक से भूतलक्षी न हो ।

(3) उपधारा (1) के अधीन किये गये प्रत्येक आदेश को उसके किये जाने के यथाशक्य शीघ्र पश्चात् राज्य विधान मण्डल के दोनो सदनों के समक्ष रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23–क की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी रूप में लागू होंगे जैसे कि वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

निरसन एवं अपवाद

12–(1) उत्तर प्रदेश जनहित गारन्टी अध्यादेश, 2011 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

उ0प्र0 अध्यादेश सं0 01, 2011

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जाएगी मानों इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे ।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा प्रदान की जा रही लोकसेवाओं को प्रदान करने के लिए सामान्यता कोई समय–सीमा नियत नही की गयी थी और न तो निर्धारित समय–सीमा के भीतर ऐसी सेवाएं प्रदान करने के लिए समुचित रूप से सक्षम अधिकारी पदाभिहित, किये गये थे और न ही उनके उत्तरदायित्व नियत किये गये थे, जिसके कारण राज्य की जनता को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था । अतएव यह विनिश्चिय किया गया कि राज्य की जनता को नियत समय–सीमा के भीतर सेवायें प्रदान करने तथा उनसे संबंधित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए विधि बनायी जाय ।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को लागू करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतएव राज्यपाल द्वारा दिनांक 13 जनवरी, 2011 को उत्तर प्रदेश जनहित गारन्टी अध्यादेश, 2011 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1 सन् 2011) प्रख्यापित किया गया ।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है ।